उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार– 249404

संख्याः171/81/06/डी0आर0/(मा0शि0)/से0–1/2023–24　　　　दिनांकः 25 अक्टूबर, 2024

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह–ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा)परीक्षा–2024

विज्ञप्ति/सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह–ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा–2024 हेतु विज्ञापन संख्याः ए–3/एस0–1/डी0आर0(एल0आई0सी0)/2024, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 जारी किया गया है। उक्त विज्ञापन के संबंध में उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडी अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन के बिन्दु संख्या–06(i) एवं 06(vii) में उल्लिखित प्राविधानों के संबंध में पृच्छा की जा रही है।

प्रश्नगत विज्ञापन के बिन्दु संख्या–**06(i)** में प्रवक्ता पद हेतु उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडियों को अनुमन्य आरक्षण का निम्नवत् उल्लेख किया गया हैः–

''उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडी अभ्यर्थियों (केवल ओलम्पिक/विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल में पदक विजेता/प्रतिभाग किए कुशल खिलाडी हेतु अनुमन्य) हेतु आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा'' तथा बिन्दु संख्या–**06(vii)** में उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडियों के लिए उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 208271/xxx/(2)/2024–ई 40510 दिनांक 01 मई, 2024 का उल्लेख किया गया है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह–ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा–2024 द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता पद समूह–ग (लेवल–08) का है। अतः उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडियों के लिए उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 208271/xxx/(2)/2024–ई 40510 दिनांक 01 मई, 2024 के क्रम में विज्ञापन के बिन्दु संख्या–**06(i)** अनुसार ***''उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडी अभ्यर्थियों (केवल ओलम्पिक/ विश्वकप/ विश्व चैम्पियनशिप/ एशियन खेल में पदक विजेता/ प्रतिभाग किए कुशल खिलाडी हेतु अनुमन्य) हेतु आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा''***

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।